E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 संख्या : 01 / भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) अरवल– 29 / 2022 370 **पटना, दिनांक** 18/01/2024

आदेश

श्री मो0 नबाव शाजिद इकबाल (SKN00906), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के द्वारा रैयतों से वकास्त भूमि के नाम से खाता खोलने के एवज में 40,000 (चालीस हजार) रूपये अवैध राशि वसूली से संबंधित सुश्री बहन श्वेता, विशेष सर्वेक्षण अमीन से हुई वार्त्तालाप के ऑडियों वायरल होने के फलस्वरूप निदेशालय पत्रांक–9082 दिनांक–30.11.2023 द्वारा इनसे अवैध राशि लेन–देन / संलिप्तता के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग तीन दिनों के अंदर किया गया है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

मो0 इकबाल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह तथ्य अंकित किया गया है कि वायरल ऑडियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, परन्तु कार्यों को लेकर कई बार विशेष सर्वेक्षण अमीनों से दूरभाष पर बात होती है। इसी क्रम में विशेष सर्वेक्षण अमीन सुश्री बहन श्वेता द्वारा पूर्व में दूरभाष से संपर्क किया गया था, जिसमें राजस्व ग्राम, नदौरा से जुड़ा हुआ बकाश्त भूमि पर चर्चा की गई है, जिसका रकबा लगभग 40 (चालीस) कट्ठा दस्तावेज के अनुसार थी एवं शेष रकबा से जुड़ा साक्ष्य / दस्तावेज को उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। साथ ही इनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि सुश्री श्वेता को टैग राजस्व ग्राम, नदौरा से जुड़े रैयतों द्वारा शिकायत आ रही थी, कि इनके द्वारा गलत तरीकों से एवं मनमाने ढ़ंग से पैसा लेकर गलत रैयत के नाम से बिना साक्ष्य के खाता दर्ज कर दिया जा रहा है। इस अवैध राशि में कोई भी संलिप्तता नहीं है।

समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यहीन है क्योंकि वायरल विडियो को सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा सुश्री श्वेता से वार्त्तालाप के क्रम में पैसे भेजवाने की बात कही जा रही है। साथ ही संबंधित अमीन द्वारा यह बोला जा रहा है कि जमीन का टोटल रकबा 7 एकड है, जिसमें से 5 एकड़ बकाश्त है, जब वह जाएगा पैसा देने, तो देख लीजिएगा। इसपर मो0 इकबाल द्वारा बोला जा रहा है कि हम उनको बोले थे 50 पर वह नहीं बोले, 40 उनको रखना है (मीनिमम)। इसके साथ ही इनके द्वारा अपना वाट्सएप नम्बर उन्हें देने तथा वाट्सएप कालिंग से आज ही फाइनल करने की बात की जा रही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपित पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम आम जनता के बीच सहयोग से साथ किये जाने वाला कार्य है, जिसमें इनके द्वारा भ्रष्टाचार करने तथा अपने अधीनस्थ कर्मी को भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाने जैसा कृत्य किया गया है। इनके इस प्रकार के कृत्य से विशेष सर्वेक्षण जैसे कार्य के प्रति आमजन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी एवं इसका कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण कार्य में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाये रखना उचित नहीं है।

अतः भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने एवं भ्रष्टाचार करने हेतु अपने अधीनस्थ कर्मियों के उकसाने के आरोप में **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली के कंडिका 8(4)** के आलोक में श्री मो0 नबाव शाजिद इकबाल (SKN00906), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

18.1.24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01 / भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) अरवल– 29 / 2022 370 **पटना, दिनांक** 18/01/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी अरवल / शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2023\Bablu Sir\Order\29-2022-21-12-2022.doc

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) अरवल– 29/2022 390 **पटना, दिनांक :** 18/01/2024

प्रतिलिपि:– श्री मो0 नबाव शाजिद इकबाल (SKN00906), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो बन्दोबस्त कार्यालय अरवल सम्प्रति शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) अरवल– 29/2022 390 **पटना, दिनांक :** 18/01/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अंतर्गत R2R में संबंधित की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
18/1/24

D:\Satish-2023\Bablu Sir\Order\29-2022-21-12-2022.doc